



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस-बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पटना-800010

पत्रांक:

पटना, दिनांक:

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर, भा0 व0 से0

सदस्य-सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्फोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना-800023.

विषय: मेसर्स मालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रस्तावक: चंद्र प्रकाश सिंह, पता: वार्ड नम्बर 06, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, झींगुर्दाह, सिंगरौली, मध्यप्रदेश (गया मोरहर नदी ब्लॉक- 28, बालू घाट: 15, ग्राम-अहुरी और कथार, अंचल-आमस और शेरघाटी जिला-गया) में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0-S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में मेसर्स मालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रस्तावक: चंद्र प्रकाश सिंह, पता: वार्ड नम्बर 06, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, झींगुर्दाह, सिंगरौली, मध्यप्रदेश (गया मोरहर नदी ब्लॉक- 28, बालू घाट: 15, ग्राम-अहुरी और कथार, अंचल-आमस और शेरघाटी जिला-गया) से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक: 09.08.2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मेसर्स मालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रस्तावक: चंद्र प्रकाश सिंह, पता: वार्ड नम्बर 06, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, झींगुर्दाह, सिंगरौली, मध्यप्रदेश (गया मोरहर नदी ब्लॉक- 28, बालू घाट: 15, ग्राम-अहुरी और कथार, अंचल-आमस और शेरघाटी जिला-गया) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

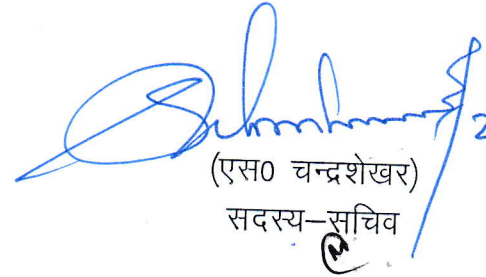
सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :- 1037

पटना, दिनांक :- 30/5/24

प्रतिलिपि:- श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद, पटना को निदेश है कि दिनांक: 09.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद के वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांक: 09.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

 29/5/24
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव

पेसरा मालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रस्तावक: चंद्र प्रकाश सिंह, पता: वार्ड नम्बर 06, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शीगुर्दाह, सिंगरौली, मध्यप्रदेश द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट: 15, ग्राम-अहुरी और कथार, अंचल-आमरा और शेरघाटी जिला-गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 09.08.2023 को अपराह्न 05:00 बजे अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला-गया के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2412/2023, dated 06.06.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा दिनांक 09.08.2023 को अपराह्न 05:00 बजे अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला-गया में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा दैनिक समाचार पत्रों तथा द दैनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 05.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट: 15, ग्राम-अहुरी और कथार, अंचल-आमरा और शेरघाटी जिला-गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मंगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कुशल कश्यप ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा।

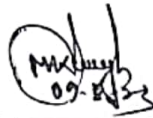
खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वान प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री असीम अकरम, पता: हमजापुर, पंचायत: महुआवाँ, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम एवं स्थानीय लोगों को रोजगार देने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा। साथ ही बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री असीम अकरम को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री कमरुद्दीन, पता: हमजापुर, पंचायत: महुआवाँ, जिला: गया।	इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया कि पहले भी घाट का संचालन हुआ है पर स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। क्या इस बार स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा या नहीं ? इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस बार बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। एवं लेसी के प्रतिनिधि द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री कमरुद्दीन को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

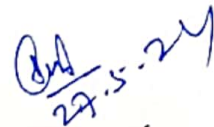
3.	श्री विवेक कुमार, ग्राम: कथार, जिला: गया।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन अवधि के अंतराल में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाय, नियमित रूप से बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू खनन सरकार के द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होना चाहिए एवं स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
4.	श्री अविनाश कुमार, पता: कथार, वार्ड नं०-04, जिला: गया।	इनके द्वारा बताया गया कि नदी में बालू खनन काफी ज्यादा गहराई तक होता है। यह गहराई कितने मीटर तक होना चाहिए, से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन क्षेत्र में बालू की खुदाई 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जाना है अगर इससे ज्यादा करते हैं तो स्थानीय ग्रामीण के द्वारा जिला प्रशासन से शिकायत की जा सकती है। इसप्रकार श्री अविनाश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री शंकर कुमार, पता: कथार, वार्ड नं०-04, जिला: गया।	इनके द्वारा कहा गया कि बालू खनन कार्य करना जनहित में आवश्यक है, जिसकारण घाट का संचालन जल्द से जल्द संचालित किया जाय ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो एवं सरकार के राजस्व में वृद्धि हो।

लेक सुनवाई में उपस्थित आमजन के द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं दिये गये सुझाव की गम्भीरता को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे, घाटों पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


09-05-24

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद,
गया


24.5.24

अपर समाहर्ता,
गया
उप विकास आयुक्त
बांका

Adv. ID	PRNo	AdDesc	NPRNo	AdSize	Publish Dt by Dept	Publish Dt by IPRD	File send to News Paper	News Paper	Edition	Publisher
119566	IPRD_PR_004715/23-24		IPRD_RO_004579/23-24	150	05-Jul-2023	05-Jul-2023	Download File	Dainik Bhaskar	Dainik Bhaskar Patna	
119568	IPRD_PR_004715/23-24		IPRD_RO_004579/23-24	150	05-Jul-2023	05-Jul-2023	Download File	Hindustan	Hindustan Goya	



बिहार सरकार

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्यद

लोक-सुनवाई की सूचना

ई-मेल- msbspcb-bih@gov.in, वेबसाइट-<http://bspcb.bihar.gov.in>

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.08.2008 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष मेसर्स मालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रस्तावक: चंद्र प्रकाश सिंह, पता: वार्ड नम्बर 06, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, झीगुर्दाह, सिंगरीली, मध्यप्रदेश द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट: 15, ग्राम-अहुरी और कथार, अंचल-अमास और शेरपाटी जिला-गया में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचारार्थीन है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी है तथा लोक-सुनवाई की जानी है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्यद मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, गया; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गया; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्यद के वेबसाइट: <http://bspcb.bihar.gov.in> पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्यद कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्यद के ई-मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:-

दिनांक:	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक-सुनवाई का स्थल
09.08.2023	अपराह्न 02:00 बजे	अमास और शेरपाटी जिला-गया	गया जिला अन्तर्गत अहुरी और कथार	गया मोरहर 15	अंचल कार्यालय, शेरपाटी, जिला-गया

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाईड-लाइन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करावेंगे।

PR-004715 (NI NI) 2023-24

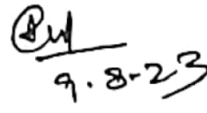
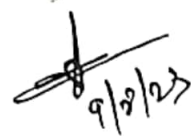
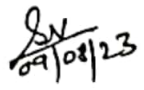
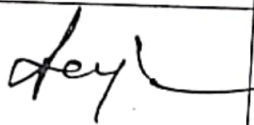
नरो सो क्वानी दूरी है, उयाँकि परिवार जरूरी है

सदस्य सचिव

उपस्थिति सूची

120

मेसर्स मालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रस्तावक: चंद्र प्रकाश सिंह, पता: वार्ड नम्बर 06, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, झींगुर्दाह, सिंगरौली, मध्यप्रदेश द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट: 15, ग्राम-अहुरी और कथार, अंचल-अमास और शेरघाटी जिला-गया में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 09.08.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय शेरघाटी, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अंजलि कुमार	अपर सहायक, गमा	 9.8.23
2.	मनोमन कुमार सिंह	मैत्री पदाधिकारी, जि. ए. प्र. नि. मंडल, अमा	 9.8.23
3.	स्नेहिल आनन्द	प्रबंध विकास पदाधिकारी, शेरघाटी, गया।	 9/8/23
4.	शुभम वर्मा	राजस्व अधिकारी शेरघाटी, गया।	 09/08/23
5.	Kunal Kashyap	साठानपुर	 Kunal
6.	चंदन कुमार सिंह	कठार	 Charla
7.	Avinash Kumar	Kathar	 AS
8.	Pooja Kumar	Kathar	 Pooja
9.	Golu Kumar	Kathar	 Golu

10.	हाजीश इमाम	महुआवां हमजापुर	Danish Imam
11.	महेश अग्रवाल	महुआवां हमजापुर	Mahesh Agrawal
12.	मो० इरशाद अलम	महुआवां हमजापुर	M. Irshad Alam
13.	मो० शक्तिर खान	महुआवां हमजापुर	MD. Shakir Khan
14.	Dilshad Alam	Mahum Hamzapur	Dilshad
15.	रज्जुन पालवान	महुआवां हमजापुर	Ranjana
16.	Ahmad Raza	Mahum Hamzapur	Ahmad
17.	MD. Dilshad Raza	Mahum Hamzapur	Dilshad Raza
18.	Aman Khan	Mahum Hamzapur	Aman Khan
19.	जी० राहुल खान	महुआवां हमजापुर	Ahmad
20.	मो० शहिदाद खान	महुआवां हमजापुर	Shahid Kh.

21.	मंगल इमाज	महुआवां हमापु	Mangraj 119
22.	महुआवां हमापु	महुआवां हमापु पनचाभासगमी महुआवां	~~मि~~ 9/8/23
23.	मिनीपु अमर	महुआवां हमापु	मिनीपु अमर
24.	मो० वहाल	महुआवां हमापु	मो० वहाल
25.	वेसीम अकरम	महुआवां हमापु	वेसीम अकरम 9/8/23
26.	कमल उदीन	महुआवां हमापु	~~मि~~ 9/8/23
27.	Punjab Singh	Kathar.	Punjab 09/08/23
28.	उडर सिंह	कठार	उडर सिंह 09/08/23
29.	अमीर उमार	कठार	अमीर 09/08/23
30.	आतुमा उमादरिहं	कठार	~~मि~~ 9/08/23
31.	मुन्ना सिंह	कठार	Munna Singh

32.	मुन्ना सिंह	मुन्ना	Shan Kha.
33.	Lucy Khan	महुआवा अदुरी	Lucy. K
34.	md. wasim	अदुरी महुआवा	md wasim
35.	Shiv Shankar Das	महुआवा	Shiv Shankar Das
36.	Mr. Babar Khan	महुआवा	Mr. Babar Khan
37.	Fatah Ayub	महुआवा - अदुरी	Fatah
38.	मनीज दास	महुआवा - अदुरी	Manoj Das
39.	रवींद्र कुमार	महुआवा अदुरी	Randeel Kumar
40.	पप्पु सिंह	एमजापुर कोट	Papu Singh
41.	नीरज कुमार	इठार भैरवादी	Neeraj
42.	चन्द्रकान्त कुमार	कठार भैरवादी	Chandkan

	Vivek Kumar	Kathar Ahuri	118 Vivek Kumar
44.	कमलेश कुमार	कठार अहुरी	कमलेश कुमार
45.	Arishet Singh	Kathar, Ahuri	Arishet Singh
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			

